



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]
No. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1999/भाद्र 6, 1921

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1999/BHADRA 6, 1921

इस भाग में किन्तु एक संख्या ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सार्वजनिक निबन्ध (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(संसदीय राजभाषा समिति)

नई दिल्ली, 06 अगस्त, 1999

मा. का. नि. 266—राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती (द्वारा संशोधन) नियम, 1999 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1992 की अनुसूची में:—
 - (1) ज्येष्ठ अनुवादक, सहायक प्राशुलिपिक श्रेणी "ग", प्राशुलिपिक श्रेणी "घ" और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 से 5 के सामने स्तम्भ (11) और स्तम्भ (12) में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा" के स्थान पर दोनों स्थानों पर क्रमशः "प्रतिनियुक्ति पर" और "प्रतिनियुक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

- (2) ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के पद से संबंधित स्तम्भ 12 में
- (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—
- (iii) "या जिन्होंने 4500-125-7000 रु. के वेतनमान के वेतनमान में कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है।"
- (3) प्राशुलिपिक "ग" और प्राशुलिपिक "ब" के पद से संबंधित स्तम्भ 12 में (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
- (3) या हिन्दी प्राशुलिपि जानने वाले को अधिमानता दी जाएगी।"
- (4) अक्षर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ 12 में "प्रतिनियुक्ति की अवधि" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
- "हिन्दी टंकण जानने वाले को अधिमानता दी जाएगी।"
- (5) स्टाफ कार ड्राइवर के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के मामले स्तम्भ 1 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- (6) स्टाफ कार ड्राइवर के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के मामले स्तम्भ 8 में, क्रम सं. 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
- (5) वह हिन्दी और अंग्रेजी शब्दों तथा वाक्यों को पढ़ने में अवश्य समर्थ हो
- (6) उसे यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी अवश्य हो।"
- (7) क्रम संख्या 1 से 11 (जिसमें दोनों शामिल हैं) के मामले स्तम्भ 4 तथा स्तम्भ 12 में, विद्यमान वेतनमान और वे श्रेणियां, जिनसे प्रतिनियुक्ति की जाएगी, के स्थान पर, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक के साथ दर्शाया गया वेतनमान तथा श्रेणियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

क्र. सं. पद का नाम	स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान	स्तम्भ (4) में प्रतिस्थापित किया जाने वाला पुनरीक्षित वेतनमान	स्तम्भ (12) में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतनमान जिनसे प्रतिनियुक्ति की जाएगी	स्तम्भ (12) में प्रतिस्थापित किया जाने वाला पुनरीक्षित वेतनमान, जिनसे प्रतिनियुक्ति की जाएगी	
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक	1640-60-2600- द. रो. -75-2800 रु.	5500-175-9000 रु.	1400-2600 रु.	5000-150- 8000 रु.	
2. सहायक	1400-40-1600 50-2300 द. रो. 60-2600 रु.	5000-150-8000 रु.	1200-2040 रु.	4000-100- 6000 रु.	
3. प्राशुलिपिक श्रेणी "ग"	1400-40-1600- 50 2300 द. रो. 60 2600 रु.	5000-150-8000 रु.	1200-2040 रु.	4000-100- 6000 रु.	
4. प्राशुलिपिक श्रेणी "ब"	1200-30-1560- द. रो. -40-2040 रु.	4000-100-6000 रु.	—	—	
5. अक्षर श्रेणी लिपिक	950-20-1150 द. रो. 25-1500 रु.	3050-75 3950-80 4580 रु.	—	—	

1	2	3	4	5	6
6.	स्टाफ कार डाइवर	950 20-1150- द. रो.-25-1500, रु.	3050-75-3950-80 4590 रु.	---	---
7.	कनिष्ठ गेस्टेनर भापरेटर	800-15-1010- द. रो.-1150 रु.	2650-65-3300- 70-4000 रु.	---	---
8.	दफ्तारी	775-12-955- द. रो.-14-1025 रु.	2610-60 3150- 65-3540 रु.	---	---
9.	चबरासी	750-12-870-द.रो.-14- 940 रु०	2550-55-2660-60- 3200	---	---
10.	वाचमैन	750-12-870- द. रो.-14-940 रु.	2550-55-2660- 60-3200 रु.	---	---
11.	सफाई कर्मचारी सह फराश	750-12-870- द. रो.-14-940 रु.	2550-55-2660- 60-3200 रु.	---	---

[सं. 20012/4/93--समित्त-6]

हरि शंकर मिह, प्रवर सचिव (प्रशा०)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 568 तारीख 19 दिसम्बर, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पड़तालवर्ती पहला संशोधन सा. का. नि. सं. 498 तारीख 16-9-94 द्वारा जारी किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Committee of Parliament on Official Language)

New Delhi, the 6th August, 1999

G.S.R.266—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Groups 'C' and 'D' posts) Recruitment (II Amendment) Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Groups 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1992,—
 - (1) Against serial Nos. 1 to 5 relating to the posts of Senior Translator, Assistant, Stenographer Grade 'C' Stenographer Grade 'D' and Lower Division Clerk in columns (11) and (12) for the words "By Transfer on Deputation" and "Transfer on Deputation" at both places, the word "On Deputation" and "Deputation" respectively shall be substituted;
 - (2) in column 12 relating to the post of Senior Translator (Hindi) after (ii), the following shall be inserted, namely :—
 - (iii) "OR with 6 years regular service in the post of Junior Translator (Hindi) in the pay scale of Rs. 4500-125-7000";
 - (3) in columns 12 relating to the posts of Stenographer 'C' and Stenographer 'D', after (ii), the following shall be inserted, namely :—
 - (iii) Or preference will be given to those knowing Hindi Stenography";
 - (4) in column 12 relating to the post of Lower Division Clerk, before the word 'Period of Deputation, the following shall be inserted, namely :—
 - "Preference will be given to those knowing Hindi Typewriting";

- (5) against serial No. 5 relating to the post of Staff Car Driver in column 1 for existing entries, the entry "Staff Car Driver (Ordinary Grade) shall be substituted";
- (6) against serial No. 5 relating to the post of Staff Car Driver in column 8, after serial No. 4, the following shall be inserted, namely :—
- "(5) Must be able to read Hindi and English words and sentences.
- (6) Must have good knowledge of Traffic Regulation."
7. Against Serial Nos. 1 to 11 (both inclusive) in Columns 4 and 12, the existing scale of pay and grades from which deputation to be made, shall be substituted by Scale of Pay/Grade shown against each in the table given below namely :—

S. No.	Name of the Post	Existing Scale of Pay as specified in Col. (4)	Revised Scale of pay to be substituted in Col. (4)	Existing Grades from which deputation/absorption to be made as specified in Col. (12)	Revised Grades from which deputation absorption to be substituted in Col. (12)
1	2	3	4	5	6
1.	Senior Hindi Translator	Rs. 1640-60-2300-EB-75-2900	Rs. 5500-175-9000	Rs. 1400-2600	Rs. 5000-150-8000 OR Rs. 4500-125-7000
2.	Assistant	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Rs. 5000-150-8000	Rs. 1200-2040	Rs. 4000-100-6000
3.	Stenographer Grade 'C'	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Rs. 5000-150-8000	Rs. 1200-2040	Rs. 4000-100-6000
4.	Stenographer Grade 'D'	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Rs. 4000-100-6000	—	—
5.	Lower Division Clerk	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Rs. 3050-75-3950-80-4590	—	—
6.	Staff Car Driver	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Rs. 3050-75-3950-80-4590	—	—
7.	Junior Gestetner Operator	Rs. 800-15-1010-EB-1150	Rs. 2650-65-3300-70-4000	—	—
8.	Daftry	Rs. 775-12-955-EB-14-1025	Rs. 2610-60-3150-65-3540	—	—
9.	Peon	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Rs. 2550-55-2660-60-3200	—	—
10.	Watchman	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Rs. 2550-55-2660-60-3200	—	—
11.	Sweeper-Cum-Farash	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Rs. 2550-55-2660-60-3200	—	—

[No. 20012/4/93-Samiti-6]

H. S. SINGH, Under Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide Number G.S.R. 568 dated the 19th December, 1992 and subsequently first amendment was issued vide GSR No. 498 dated 16-9-94.